

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(फरवरी-मार्च, 2010 सत्र)

(22 फरवरी, 2010 से 26 मार्च, 2010)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

वित्त
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
20 सूत्र कार्यान्वयन
वाणिज्यिक कर
सामाजिक न्याय
पंचायत और ग्रामीण विकास
परिवहन
जेल
श्रम
गृह

वित्त मंत्री
वित्त मंत्री
वित्त मंत्री
वित्त मंत्री
सामाजिक न्याय मंत्री
सामाजिक न्याय मंत्री
परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री
श्रम मंत्री
गृह मंत्री

23 फरवरी, 2010 - 16 फरवरी, 2010
9 मार्च, 2010 - 2 मार्च, 2010
19 मार्च, 2010 - 10 मार्च, 2010

वर्ग-2

(1)	(2)	(3)	(4)
सामान्य प्रशासन नर्मदा घाटी विकास विमानन जल संसाधन आवास और पर्यावरण वन संसदीय कार्य विधि और विधायी कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहकारिता	मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री जल संसाधन मंत्री वन मंत्री संसदीय कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री		24 फरवरी, 2010 - 17 फरवरी, 2010 10 मार्च, 2010 - 2 मार्च, 2010 22 मार्च, 2010 - 15 मार्च, 2010

वर्ग-3

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण उच्च शिक्षा संस्कृति जनसंपर्क धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व पुनर्वास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण महिला एवं बाल विकास	तकनीकी शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री किसान कल्याण मंत्री राजस्व मंत्री राजस्व मंत्री राज्यमंत्री, खाद्य राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास		25 फरवरी, 2010 - 18 फरवरी, 2010 11 मार्च, 2010 - 3 मार्च, 2010 23 मार्च, 2010 - 15 मार्च, 2010
--	---	--	--

वर्ग-4

(1)	(2)	(3)	(4)
नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास वाणिज्य, उद्योग और रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान और टेक्नालॉजी सार्वजनिक उपक्रम उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ग्रामोद्योग पशुपालन मछलीपालन पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण लोक निर्माण पर्यटन खेल और युवा कल्याण	नगरीय प्रशासन मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री पशुपालन मंत्री पशुपालन मंत्री पशुपालन मंत्री लोक निर्माण मंत्री पर्यटन मंत्री पर्यटन मंत्री		26 फरवरी, 2010 - 18 फरवरी, 2010 12 मार्च, 2010 - 6 मार्च, 2010 25 मार्च, 2010 - 18 मार्च, 2010

वर्ग-5

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुष चिकित्सा शिक्षा जन शिकायत निवारण जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण स्कूल शिक्षा ऊर्जा खनिज साधन	लोक स्वास्थ्य मंत्री लोक स्वास्थ्य मंत्री लोक स्वास्थ्य मंत्री लोक स्वास्थ्य मंत्री लोक स्वास्थ्य मंत्री आदिम जाति कल्याण मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा		8 मार्च, 2010 - 2 मार्च, 2010 18 मार्च, 2010 - 10 मार्च, 2010 26 मार्च, 2010 - 18 मार्च, 2010
---	--	--	---

भोपाल :
दिनांक : 20 जनवरी, 2010

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

- नोट.-**
1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होंगे.
 2. प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त प्रारूप में ही भेजे.
 3. प्रश्नों के उत्तर भेजने की अंतिम तिथि का कॉलम उपर्युक्त प्रश्नोत्तर के प्रारूप में दर्शित नहीं है, अतः इस विवरण के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई उत्तर भेजने की अंतिम अनुसार ही कार्यालय समय में उत्तर अनिवार्यतः भेजे जावें.
 4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : **“मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ”** के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा.
 5. प्रश्नों के उत्तर तीन प्रतियों में तथा यदि संलग्न परिशिष्ट तीन पृष्ठों से अधिक का हो तो पाँच प्रतियों में सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर भेजे जावें.
 6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण/परिवर्तन/पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए, उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचार योग्य नहीं होंगे.

प्र-1 अ (1193)/2010

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2010

प्रतिलिपि :-

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्य मंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव, तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों,

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.